



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1944 (श0)  
(सं0 पटना 180) पटना मंगलवार, 28 फरवरी 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2023

अधिसूचना संख्या 01/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 108, दिनांक 28 फरवरी 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए

प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं -बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**28 फरवरी 2023**

एस० ओ० 108 दिनांक 28 फरवरी 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं -बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 28<sup>th</sup> February 2023*

**Notification No. 01/2023- State Tax (Rate)**

S.O. 108, Dated 28<sup>th</sup> February 2023.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 01<sup>st</sup> March, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14)01)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 180-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>